भारत सरकार **BHARAT SARKAR**
रेल मंत्रालय **MINISTRY OF RAILWAYS**
रेलवे बोर्ड **RAILWAY BOARD**
नई दिल्ली **New Delhi**

No: 95/RS(G)/796/1 **Dated: 31 .07.2017**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS
All MD/CAO of Railway PSUs, autonomous units

Sub: Cost of the tender documents.

Ref: Railway Board letter No. 95/RS(G)/796/1dt. 30.4.2014

In view of enabling provision incorporated under Para 161(iv) of GFR 2017, matter regarding deposition of tender documents cost by tenderer in supply tenders, has been reviewed in Board office and accordingly in supersession to existing instructions on the subject, it has been decided that, henceforth, the cost of tender document may be dispensed with for tender documents downloaded by bidders.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(J.C. Taneja)
Dy. Director Railway Stores (G)II
Railway Board

No: 95/RS(G)/796/1 **Dated: 31 .07.2017**

Copy to:

1. PFAs, All Indian Railways & Production Units
2. The ADAI(Railways), New Delhi
3. The Directors of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No: 95/RS(G)/796/1 **Dated: 31 .07.2017**

Copy to :

1. PCMMs, PCEs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
 a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. MD, CRIS, Chanakya Puri, New Delhi

4. MD, RITES, RITES Bhavan, Sector-29, Gurugram
5. Director, Iron & Steel, 3, KoilaGhat Street, Kolkata
6. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
7. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
8. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

(J.C. Taneja)
Dy. Director Railway Stores (G)II
Railway Board

No: 95/RS(G)/796/1

Copy to :

Dated: 31 **.07.2017**

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

(J.C. Taneja)
Dy. Director Railway Stores (G)II
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MoS(S), MoS(G)
2. CRB, FC, ME, MTR, MRS, MS, MT, SECY., DG(RS), DG(S&T),DG(Personnel),DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

सं. 95/आरएस(जी)/796/1 **नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2017**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे(निर्माण), कोर
महानिदेशक/अ.अ. एवं मा. सं./लखनऊ एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना,
कॉफमो/नई दिल्ली, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली.
सभी प्रबंध निदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत इकाइयां।

विषय: निविदा दस्तावेजों की लागत।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.4.2014 का पत्र सं. 95/आरएस(जी)/796/1.

जीएफआर 2017 के पैरा 161(iv) के अंतर्गत शामिल सक्षम प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निविदाओं की आपूर्ति करने में निविदाकार द्वारा वहन की गई निविदा दस्तावेजों की लागत को जमा करने से संबंधित मामले की बोर्ड कार्यालय में समीक्षा की गई है और तदनुसार इस विषय पर मौजूदा अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि अब से निविदा दस्तावेज की लागत बोलीदाताओं द्वारा डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों के लिए समाप्त कर दी जाए।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)II
रेलवे बोर्ड

सं. 95/आरएस(जी)/796/1 **नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2017**

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.
2. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली.
3. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 95/आरएस(जी)/796/1 नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. पीसीएमएम, पीसीई, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो/नई दिल्ली, कोर/इलाहाबाद, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला.
2. **निदेशक-**
 - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), नेशनल अकादमी ऑफ इण्डियन रेलवे, वडोदरा
 - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
 - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. प्रबंध निदेशक, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
4. प्रबंध निदेशक, राइट्स, राइट्स भवन, सेक्टर-29, गुरूग्राम
5. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
6. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
7. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
8. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाड़िया सर्कल, उदयपुर

जे सी तनेजा

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)II
रेलवे बोर्ड

सं. 95/आरएस(जी)/796/1 नई दिल्ली, दिनांक 31.07.2017

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन।

जे सी तनेजा

(जे. सी. तनेजा)
उप निदेशक रेल भंडार (जी)II
रेलवे बोर्ड